निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)

प्रकरण संख्या : 152/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. भौरीलाल पुत्र स्व॰ श्री रामचन्द्र
2. राजूलाल पुत्र स्व॰ श्री रामचन्द

समस्त जाति बारागांव ब्राहमण, निवासी ग्राम आकोडिया, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री गुलाब सिंह वर्मा आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू ।
2. उमा पत्नी भवानी शंकर जैमन जाति ब्राह्ण निवासी ग्राम सोकरवाडा, जिला करोली ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 258/2023 व टी आई संख्या 141/2023 ब उनवानी उमा बनाम भौरीलाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री हरीश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हेमराज भदाला अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 05.02.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रकरण संख्या 258/2023 व टी आई संख्या 141/2023 ब उनवानी उमा बनाम भौरीलाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री हेमराज भदाला उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण एक ग्रामीण परिवेश का सरल स्वभाव का अशिक्षित व्यक्ति है जो कानूनी दावपेचों से कतई अनभिज्ञ है, किन्तु मिन अप्रार्थी बेहद शातिर एवं चालाक प्रवृति के भू माफिया व्यक्ति है जो येनकेन प्रकारेण प्रार्थीगण की स्व अर्जित भूमि को हडप करने की फ़िराक में है। अप्रार्थी संख्या 2 धनबल एवं भुजबल में प्रार्थीगण से कहीं अधिक शक्तिशाली है जिन्होंने अप्रार्थी संख्या 1 एवं समस्त सभी अधिकारी व कर्मचारियों से पूरी तरह सांठ गांठ करके

कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

दौराने वर्तमान विधान सभा चुनाव कार्यवाही के भी वादग्रस्त आराजीयात की कुर्रेजात रिपोर्ट बिना मौके पर गये तथा बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये तैयार कर महज 5–7 दिन में उक्त प्रकरण में प्रस्तुत कर दी गई तथा अब तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी प्रार्थीगण को खुले आम धमकी दी जा रही है कि तुम चाहे जो कर लो मैं आगामी पेशी को इस दावे को मुताबिक रिपोर्ट अंतिम डिक्री करके रहूंगा जिससे प्रार्थीगण मानसिक रूप से अत्यधिक आहत एवं भयाकांत हो गये है जिससे अब प्रार्थी को शत प्रतिशत यकीन हो गया है कि अब प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रही है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निरतारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।

8. उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 258/2023 व टी आई संख्या 141/2023 ब उनवानी उमा बनाम भौरीलाल व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 04.03.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड अधिकारी बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निरतारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू एवं उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)